

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 22/2/22

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा को विभिन्न नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण कार्य हेतु रु. 155.94 लाख (एक करोड़ पचपन लाख चौरानबे हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-37/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1964/17.03.2021), 38/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1965/17.03.2021), 36/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1962/17.03.2021), 39/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1967/17.03.2021) तथा 32/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1938/16.03.2021)

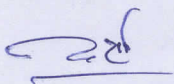
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय/ 01-बाढ़ नियंत्रण,	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन	05-निर्माण 45 निर्माण कार्य / 49S47110179658000545	155.94

आवंटित राशि - रु. एक करोड़ पचपन लाख चौरानबे हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक में प्रत्यर्पण के उपरान्त संशोधित बजट उपबंध रु. 2180.00 लाख मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं राक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 300

राँची, दिनांक :- 22/02/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/पाकुड़/राजमहल सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 300

राँची, दिनांक :- 22/02/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास, विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 300

दिनांक 02/02/22

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

माना संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिचय

उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता,

उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S47110179658000545

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित बजट उपबंध रु. 2180.00 लाख।

राशि लाख रूपये में

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा (R/MR001)	देवघर	साहेबगंज जिलान्तर्गत विशनपुर पंचायत के पुल्लिया डांगा ग्राम में गुमानी पुल से सीढ़ी घाट तक गुमानी नदी के किनारे बाँया तटबंध पर 150मी0 लम्बाई में कटाव निरोधक कार्य।	37/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1964/17.03.2021),	103.64	0.00	20.47	27.29	47.76	47.76	81757	
			साहेबगंज जिलान्तर्गत विशनपुर पंचायत के नकशीमल ग्राम में मुकदर के घर से रायटला सीढ़ी घाट तक गुमानी नदी के किनारे बाँया तटबंध पर 200मी0 लम्बाई में बोल्टर क्रेटिंग का कार्य।	38/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1965/17.03.2021)	145.80	0.00	26.68	35.58	62.26	62.26	81758	
			साहेबगंज जिलान्तर्गत हस्तीपाड़ा पंचायत के हस्तीपाड़ा ग्राम में एनामूल के घर से रिजवल के घर तक 100मी0 लम्बाई में गुमानी नदी में कटाव निरोधक कार्य।	36/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1962/17.03.2021)	77.24	0.00	14.39	19.18	33.57	33.57	81760	
			साहेबगंज जिलान्तर्गत हस्तीपाड़ा पंचायत के तेलीपाड़ा ग्राम में सनाउल्ला के घर से बैलतल्ला सीढ़ी घाट तक गुमानी नदी के किनारे दाँये तटबंध पर 150मी0 लम्बाई में बोल्टर क्रेटिंग का कार्य।	39/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1967/17.03.2021)	114.69	0.00	17.40	23.20	40.60	40.60	81761	
			साहेबगंज जिलान्तर्गत हरिहर पंचायत में सालखाना से खासतला मोड़ तक गुमानी नदी पर 200मी0 लम्बाई में बोल्टर क्रेटिंग का कार्य।	32/20-21, प्र.स्वी., दिनांक-09.03.2021 (Online AA-1938/16.03.2021)	153.74	0.00	27.50	50.69	78.19	78.19	81763	
					कुल योग	0.00	106.44	155.94	262.38	262.38		
आवृत्ति राशि -रू एक करोड़ पचपन लाख चौरानबे हजार मात्र।												

आवृत्ति राशि - रु एक करोड़ पचपन लाख चौरानबे हजार मात्र।

2022

20

2022/02/02

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रघुम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव